

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Sir, I move that the Bill be passed.
The question was put and the motion was adopted

**RE. DEFERMENT OF CONSTITUTION (EIGHTY-SIXTH
AMENDMENT) BILL, 1999**

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, since sufficient number of hon. Members are not present at this late hour, I feel, it would not be possible now to take up the Constitution (Eighty-sixth amendment) Bill, 1999. So, it could be deferred to be taken up during the next Session.

THE MIZORAM UNIVERSITY BILL, 1999

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SANATAN BISI) All right. Now, we take up the Mizoram University Bill, 1999. Shri Murli Manohar Joshi.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मिज़ोरम राज्य में अध्ययन और संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का बंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, let us pass this Bill without discussion.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): No, Sir. There should be some discussion on it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI) : There are only two or three hon. Members, who have given their names to speak on this. It will take only two-to-three minutes to complete. Hon. Minister.

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष महोदय, 1986 में मिज़ोरम सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ और मिज़ो नेशनल फ्रंट के साथ एक समझौता हुआ था जिससे वहां शंति स्थापित हुई। उस समझौते में एक बात यह भी थी कि वहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वहां एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पिछले 12-14

वर्षों से यह वायदा पूरा नहीं हो पा रहा था। इधर मिज़ोरम राज्य में शिक्षा की भारी प्रगति हुई है। आज वह भारत का सब से अधिक शिक्षित राज्य बन गया है, नम्बर एक पर आ गया है। वहां 14 प्रतिशत रेट आफ लिटरेसी हैं स्त्रियों और पुरुषों के बीच में साक्षारता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं यह जो एक तरह से न्होंने शिक्षा के लिए भारी प्रयास किया है, उसका डिविडेंड उनको मिलना चाहिये। और यह वहां शांति स्थापित करने में तथा मिज़ो को पूर्ण रूप से भारत में इंटीग्रेशन करने के लिए बिना किसी प्रकार के विवाद के पारित करें तथा नये वर्ष का गिफ्ट मिज़ोरम के लोगों को प्रदान करें।

The question was proposed.

डा० मुरली मनोहर जोशी : हर चीज में विप्लव करना कुछ जरूरी नहीं है।... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) : मल्होत्रा जी बैठिए।

DR. BIPLAB DASGUPTA : The House has already allocated time for this Bill. I think, there are only two speakers. Please allow each Member five minutes. What is this? ...*(Interruption)*...

* **THE VICE-CHAIRMAN :** I know about it. Dr. Biplab Dasgupta, please take your seat.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA : Are there too many speakers on this Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI) : No. Only two speakers are there.

DR M.N. DAS (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, since the Mizoram University Bill, 1999 is a very desirable Bill, it deserves to be passed with great pleasure. As the hon. Minister said, for long 12 years, the people of Mizoram were planning for a university of their own. So, this is a very welcome step. I congratulate the hon. Minister. The second welcome step is that, we are giving to it the status of a Central University. On this issue, I would draw the kind attention that a Central University is intended to serve two primary purposes. One is, accelerating in the standard of higher

education, higher research. The second is, the door of the Central University should be opened to students of all parts of India because it must carry a national character in its core. Now, most of the State Universities in India, today, are going in for a mushroom growth of colleges. They do not find space for their own students. So, the doors of the universities are closed for students of other States. That is not a welcome phenomenon when we think of our national integration. So, Sir, will the door of the Mizoram Central University be opened to students from all parts of India, with a certain percentage of seats reserved for outside students?

The hon. Minister himself is a professor; he knows, and most of us know, that in most of the universities, today, the standard of education and higher research is going down. There is a devaluation. A time has come when you have to evaluate the value of education itself. But that is a different issue. In respect of this particular university, I would appeal to the Minister, when he lays the foundation of this new Central University, please lay it with stone, not with raw bricks. Unless highly qualified teachers are selected, unless very efficient, able persons are selected to become vice-chancellors, re-chancellor and other officers of the university, this will be the beginning of the end of the standard of education. So, you must try to take care of that and see what kind of people should man this university and what kind of teachers should teach the students. So, the quality aspect should be taken into account thoroughly.

I support the Bill. I congratulate the hon. Minister that a new university, particularly, in Mizoram, is going to be the gift of the Government to the people of that State on the eve of the new millennium. Thank you, Sir.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal) : I thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. I congratulate the hon. Member for bringing this Bill. We may be in the Opposition. But we do not oppose what is in national interest. We are a constructive Opposition. So, I state that this Bill, as all of us agree, was needed and it is in conformity with the Ninth Plan Development Scheme of removal of regional disparities and it is, to meet a long-standing demand of the people of the State of Mizoram. On behalf of all of us who work and strive for the expansion of educational opportunities, I again thank the hon. Minister. However, I wish to draw, through you, Mr. Vice-Chairman, the hon. Minister's attention—I shall be very brief—to two or three points only, no more than that.

First, the construction of this Bill suffers from an infirmity. There are no clausewise explanations which Members expect from the Government for being able to consider the Bill properly. This Bill does not contain any such notes.

The second point is, I request the hon. Minister to see that the establishment of one new university does not cut down the expenses on the existing ones. The UGC which disburses funds to universities, works with a very tight budget and the universities, both Central and State, cry, mostly in vain, for timely and adequate financial assistance. Well, I raise this point *because in the Financial Memorandum only Rs.5-6 crores per annum has been allotted to the proposed university. I do not wish this university to "suffer from the same financial crunch from which I suffered when I was in the University of Calcutta. I think they will need more money because if we just build the University and do not give adequate infrastructure or quality education, it will be merely a political step and not an academic enterprise for advancement of learning. Time being very short, I am not referring to the other points. But I would refer to one point about clause 18. At page 23, clause 18 deals with Selection Committees. On the Selection Committee for Professor, it says, there would be "One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor". Sir, there is no time for me to move any amendment. It should be changed. It gives the Vice-Chancellor already a post of patronage, too much patronage, in the selection of Professors. I know, from my experience, what it means.

There is a fnope important, very, very important, clause at page 6. Clause 11 sub-clause 3 says, "The Vice-Chancellor may, if he is of opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him...". He will report Then, if the Committee does not agree, it will refer the matter to the Visitor or the President of India. I think he is the Visitor. If you can change it, please do change it. The Vice-Chancellor's action has to be rectified by the relevant authority, the Academic Council or the Executive Council or the Finance Committee, whichever the Committee may be.

If the authority concerned does not agree, the Vice-Chancellor's decision has to be cancelled. There is no other way to resolve the situation. This is my firm opinion, and I request the hon. Minister to consider this point,

though belatedly. Is the Pro-Vice-Chancellor going to be a full-time salaried person? It has not been stated in the Bill.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: He will be.

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: But it has not been mentioned in the Bill. There is this gap in the Bill. One sentence has to be inserted. By mistake, that has been left out.

Finally, there is a possibility of tension between the Executive Council and the Academic Council, I mean, the clash of authority. Now, I would like to refer to page 20, clause 12(2). It says: "The Executive Council defines the duties and conditions of service of Professors etc. and also consider the recommendation of the Academic Council." It does not say whether the recommendation of the Academic Council is final or not. The Academic Council should be the supreme body for academic matters and not in connection with the emoluments of professors and things like that. Now, I would like to refer to page 32, clause 40(4) of the Bill which says: "Where the Executive Council has rejected or returned the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may consider the question afresh..." That is also a very important point and it should be noted down. From the very beginning, we do not want any tension between the Academic Council and the Executive Council. The draft may be sent back to the Executive Council. But I think the decision of the Academic Council should be supreme in academic matters, not in other matters. I will not say anything more on this Bill because I find that nobody is interested in discussing this matter. Okay. Thank you very much. I request the Minister to consider the points made by me and I thank the Minister once again on behalf of all of us.

श्री स्वराज कौशल (हरियाणा) : उप सभाध्यक्ष जी, मैं इस मुद्दे से बड़े लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। करीब बीस साल पहले जो चार्टर ऑफ डिमांड मिजो नेशनल फ्रंट था। उसके बाद मिजोरम सरकार का एक हिस्सा होने के नरते इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर करने का मौका भी मुझे मिला था। उसका जो पहला कागज था, वह मुझे ही लिखने को मौका मिला भी मुझे मिला था। उसका जो पहला कागज था, वह मुझे ही लिखने का मौका मिला और आज अपनी जिंदगी में खड़े होकर यहां इस बिल को सपोर्ट करने का मौका भी मुझे मिला है।

महोदय, मैं डा० जोशी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह इतना महत्वपूर्ण बिल यहां लाकर मिजो लोगों की जो उम्मीदें थीं, उनकी इज्जत की हैं। यह मिजोरम समझौते की इज्जत है, यह यहां की शांति प्रक्रिया का सम्मान है। यहां यूनिवर्सिटी न होने के कारण हर महीने करोड़ों रुपया मिजोरम से बाहर चला जाता है क्योंकि मिजोरम में पढ़ने की कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं। इस यूनिवर्सिटी के बनने से आर्थिक रूप से भी मिजो लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी।

महोदय, मैं यहां इस विषय पर अपने एक दो सुझाव रखना चाहता हूँ और वह इसके ओब्जेक्ट्स को लेकर हैं। मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके जो क्लाज होते हैं उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता। एक क्लाज 4 जो इस बिल का है, हर यूनिवर्सिटी का जिसका भी मैं लेजिस्लेशन देखता हूँ, यही लिखा जाता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि अब समय काफी बदल गया है और क्योंकि यह यूनिवर्सिटी एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष सिचुएशन में बन रही है, इस वजह से इसके ओब्जेक्ट्स में कंप्लिक्ट रेजोल्यूशन एक एरिया आफ एंफेसिस होना चाहिए था।

क्योंकि यह यूनिवर्सिटी बनी है चार्टर डिमांड के अंतर्गत, मिजोरम समझौते के अंतर्गत और इसमें कंप्लिक्ट रेजोल्यूशन को कोई ज़िक्र नहीं है। अब यह डिफेंस स्टडी है और न ही यह हिस्ट्री का एक हिस्सा है। कंप्लिक्ट रेजोल्यूशन में हारवर्ड यूनिवर्सिटी हो या बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी हों, उनमें बहुत काम हो रहा है। इसकी साइंटिफिकली स्टडी करने की बहुत जरूरत है। आफ्टर आल सोचने की बात यह है कि क्यों मिजोरम में इंसरजेंसी हुई? क्यों पूरी की पूरी स्टेट के लोग पूरे देश के खिलाफ खड़े होते हैं? क्यों इसे सुलझाने में 20 साल लग गए? इस पर यदि सोचा जाए तो हम देखते हैं कि तीन हजार लोग मर गए और आज इस यूनिवर्सिटी की जो विशेषता होनी चाहिए थी, वह यह होनी चाहिए थी कि इंसरजेंसी क्यों होती है, पूर्वोत्तर में इंसरजेंसी क्यों होती है? उसे सुलझाने के लिए 20 साल लगते हैं? पूर्वोत्तर पेसा दिए जाने के बाद भी यहां पर प्रगति क्यों नहीं है? उस पैसे के बंटवारे के बारे में बेहतर मैनेजमेंट क्या हो सकता है? इस पैसे और उस जीमन की डेवलपमेंट का भी आपस में कोई रिश्ता नहीं? आज यह अतना स्पेशलाइज्ड एरिया आफ स्टडी है, कंप्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि इसको हसर्फ एक हिस्ट्री के नाते समझने की जरूरत नहीं है। किस तरह से इसको सुलझाया जाए, इसकी टैक्नीक्स क्या हैं, इसे देखने की जरूरत है। क्या कारण है कि जब हम यहां रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें 10,20,40 आदमी भी नहीं मिलते हैं हिन्दुस्तान की

आर्मी में रिक्रूट करने के लिए वह आर्मी जो उनको तनख्वाह भी नहीं देती, उसमें हज़ारों लोग क्यों भर्ती हो जाते हैं? जब आपने यह ऑब्जेक्ट्स बनाए, सरकार ने, तो मेरा निवेदन है श्री जोशी से, सरकार से कि वह इसमें लिखती कि कंप्लिक रेज़ोल्यूशन एक एरिया आफ इम्फेसिस रहेगा, इंसरजेंसी स्टडी एक एरिया आफ इन्फेसिस रहेगा ताकि ऐसी बातें दोबारा न हों। फिर जो डिसिप्लिंस लिखे हैं, मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर में इस ह्यूमेनिटी यूनिवर्सिटी की बहुत जरूरत है मगर जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से तो वहां एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जरूरत है। वहां की पिग्गरी का क्या होगा? वहां के हार्टिकल्चर प्रोडयूस का क्या होगा? क्या लोग जानते हैं कि मिज़ोरम शायद दुनिया का सबसे बड़ा जिजर प्रोड्यूसिंग एरिया है? क्या लोगों ने वहां पर यूनिवर्सिटी का यह एरिया आफ इम्फेसिस हो, हाट्रिकल्चरल प्रोडयूस को डेवलप करना, वहां के एग्रीकल्चरल को देखना और यह देखना कि लैंड का कैसे बेहतर यूटिलाइजेशन हो और वहां के लोगों के लिए मार्केटिंग कैसे जेनरेट हों, उसको समझना, तो ज्यादा अच्छा हो और मिज़ोरम के कांटेक्ट में इसे समझना चाहिए।

आखिरी बात मैं क्लास-3 के बारे में कहूंगा, जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में है। क्लास 3 (2) में है:-

Clause 3 (2) says, 'Headquarters of the University shall be at Aizawl.'

अब आइज़ोल में कहां जगह है एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? आइज़ोल की अपनी इतनी समस्याएं हैं।

Aizawl is one of the most congested cities of the country, लोग भरोसा नहीं करेंगे इस बात का कि आइज़ेल में 10 या 12 रूटोरी बिल्डिंग तो एक बड़ी कॉमन चीज़ है। आइज़ेल में पीने के पानी की क अलग समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां आइज़ोल के बाहर जो डिफेंस की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मैं इसमें दो कंक्रीट सुझाव देना चाहूंगा सरकार को, आइज़ोल के बाहर जो हैड क्वार्टर हैं आर्मी राइफल का, वह 100,140 एकड़ का कैम्पस है, उसको इसके लिए चुना जा सकता है। बजाए।

इसके लिए आप 17 करोड़ लैंड एक्विज़िशन के लिए खर्च करें, अगर आप ऐसे कैम्पस का ऐक्विज़िशन करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री को एप्रोच करें या जो स्कूल आफ जनरल वानफेयर हैं शिलांग में, अगर चहां पर आप इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करें तो सरकार का बहुत सारा पैसा बच जाएगा।

इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मैं सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपने मिज़ो लोग का सम्मान किया है, आपने मिज़ो समझौते की इज्जत की है और अपने मिज़ो समझौते का पानल किया है। बहुत – बहुत धन्यवाद।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने विधेयक के बारे में पूर्ण रूप से अपना समर्थन प्रस्तुत किया है और मिज़ो समझौते के तहत हजस विश्वविद्यालय की स्थापना हम कर रहे हैं उसको देश की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विश्व विद्यालय देश के सभी छात्रों के लिए खुला है, किसी एक राज्य तक यह सीमित नहीं है। उसमें प्रावधान है कि हर राज्य के व्यक्ति इसमें दाखिल हो सकते हैं, हर वर्ग के हर लिंग के, हर समूह के हर धर्म के। लेकिन अगर उस विश्व विद्यालय में कुछ और आरक्षण करने की आवश्यकता है तो उसका भी हमारे पास जो प्रोविजो है उसके अंदर प्रावधान है कि वह विश्व विद्यालय भी कर सकता है और अगर इस प्रकार की मांग आएगी तो केन्द्र सरकार उनको सलाह भी दे सकती है कि वह उस व्यवस्था को लागू करें। वह एक अच्छी व्यवस्था होगी। हम यह चाहते हैं कि वहां कम फेकल्टी का आदान-प्रदान शुरू किया जाए। विश्वविद्यालय के लोगों को हम यह सलाह देंगे कि वहां के अध्यापक दूसरी जगह और दूसरे राज्य के अध्यापक वहां आकर बीच-बीच में साल दो साल के लिए अध्यापन कार्य करें जिससे कि राष्ट्रीय एकात्मकता सुदृढ़ हो सके। यह एक्सचेंज प्रोग्राम वहां चलाने की हम उनकी सलाह से व्यवस्था करेंगे। इसलिए इस बारे में सदन को कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हम उसे केवल एक समिति विश्व विद्यालय बनाना चाहते हैं मैं इसे बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। इवेल्यूएशन आफ एजुकेशन यह तो हमारा कार्यक्रम है और हमने यह निश्चय किया है कि केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही नहीं बल्कि देश के हर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके शैक्षणिक स्तर के बारे में उनसे चर्चा की जाएगी और हर बार हर चार-पांच साल में उनकी प्रगति कैसी हुई है इसके बारे में पूरा ध्यान देंगे। उसके लिए भी एक संस्था बनाई गई है और उसको हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनेक विश्वविद्यालय में सभी में तो नहीं, शिक्षा का और अनुसंधान का स्तर नीचे गिरा है। मैं स्वयं चिंतित हूँ कि हम उसको कैसे उठाएं और मैं सदन का सहयोग चाहूंगा कि जब कभी भी हम इस प्रकार की व्यवस्था करें और यदि अध्यापक उससे कुछ थोड़े से परेशान हों क्योंकि उनका मूल्यांकन होगा विश्व विद्यालय के अध्यापकों का और प्राध्यापकों का और वह आपके पास आएंगे तो कृपा करके उनको समझाएं कि मूल्यांकन कराना देश की

प्रगति में आवश्यक हैं, उपयोगी है और इस बारे में वह किसी प्रकार का आंदोलन न करें। मैंने देखा हैं पिछले दिनों अभी कुछ अध्यापक इसलिए आए थे कि हम नेक से उनका क्यों इवेल्यूएशन करवा रहे हैं। वह कहते हैं कि नेक का इवेल्यूएशन होना चाहिए। तो वह भी होगा। लेकिन सवाल यह है कि ... (व्यवधान)

प्रो० रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : जो इवेल्यूएशन करते रहते हैं उनका भी इवेल्यूएशन होना चाहिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी : होता ही हैं, देश करता हैं, सभी करते हैं। लेकिन यह व्यवस्था विश्व भर में हैं और होनी चाहिए, इसमें चिंता की कोई बात नहींहैं, वरना वही होगा कि एमाउंट तो चाहिए मगर एकाउंट नहीं देना चाहते। वह उचित बात नहीं होगी। मैं समझताहूँ कि उसकी तरफ पूरा ध्यान जाना चाहिए और मैं उनसे सहमत हूँ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय में जिसमें केन्द्रीय सरकार का सहयोग होता है और विजिटर महोदय का जो हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनका मार्ग-दर्शन होता हैं। सामान्य तौर पर कुलपति बहुत सो समझ कर और बहुत उपयोगी नियुक्त हिकए जाते हैं। पिछली बार विश्व विद्यालयों में जो नियुक्तियां हुई है उनके चयन के अध्यक्ष अभीतक ज्यादातर सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश रहे। इसलिए आप निश्चित रहे। इसलिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में मैं यह परम्परा डालना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का विवाद कुलपति के निर्वाचन में या उसकी नियुक्ति में न हों, नियुक्तियों को राजनीतिक परिदृश्य से हम बाहर रखें उसकी हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कुलपति अच्छा होगा, योग्य होगा, विद्वान होगा तो फिर फेकल्टी का भी, अध्यापकों का चयन भी अच्छा होगा और उसमें भी विजिटर का एक नामित व्यक्ति होता हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें यदि किसी प्रकार की शिकायत आएगी तो उसकी तरफ हम पूरा ध्यान देंगे। अभी तक पिछले दो-ढाई साल में मेरे सामने किसी केन्द्रीय विश्व विद्यालय की नियुक्तियों के बारे में यह सवाल नहीं आया कि उसमें किसी प्रकार से कम कोटि का, कम गुणवत्ता का प्राध्यापक नियुक्त किया गया हैं। अगर ऐसी बातें आएंगी तो हम उस पर विश्वविद्यालय का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि उसके अध्यापकों की चयन की प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक हो। यह भी कहा गया कि इस विश्व विद्यालय की स्थापना में जो पैसा लगाया जा रहा हैं ऐसा न हो जाए कि वह पैसा अन्य विश्वविद्यालयों के मद कट जाए। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आइवी पंचवर्षीय योजना में जो 800 कराड़ उच्च शिक्षा के लिए था वह नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर 2000 करोड़ रूपए हुआ। अभी 400

करोड़ रुपए की हमें और अधिक राशि प्राप्त हुई हैं। हम पूरी चेष्टा में हैं कि हम विश्व विद्यालयों के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करा पाएं।

मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के पूरे क्षेत्र के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी , टै:शॉरि तीनों क्षेत्रों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध करवाई जाए। मैंने सलाह दी हैं। कि विश्व विद्यालयों में थोड़ी फीस भी बढ़ाई जाए और शिक्षा के सेस लगाने की जरूरत हो तो वह भी लगाया जाए। अगर एक व्यक्ति 6 लाख रुपये की मोटर खरीद सकता हैं, तो वह 6 हजार रुपये शिक्षा के लिए भी दे सकता हैं। अगर वह 4 हजार रुपये होटल के कमरे के लिए दे सकता हैं तो वह 400 रुपये शिक्षा के लिए भी दे सकता हैं। इसीतरह से अगर हम कुछ सेंस लगाएं और शिक्षा के लिए कुछ दे सकें तो शिक्षा के लिए फण्ड की कमी नहीं होगी। मैं इस बारे में इस बारे में बार-बार अनुरोध करता रहा हूं मैं समझता हूं कि सदन इसमें मेरी मदद करेगा।

एक बात यह कही गई हैं कि एकाडेमिक काउन्सिल और एक्जीक्यूटिव काउन्सिल में कोई तनरव नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। यह परम्परा हैं कि शैक्षिक मामलों में शिक्षा परिषद या शैक्षिक परिषद का निर्णय ही मान्य होता हैं। वहीं पाठ्यक्रम तय करती हैं, वहीं अध्यापकों की योग्यता, अहर्ताओं की नीति होती हैं, उसको तय करती हैं लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अधिकार किसी न किसी एक संस्था को रहना चाहिए। दो केन्द्र सत्ता के नहीं बन सकते हैं, टू सेंट्रर्स ऑफ पावर्स नहीं बन सकते हैं इसलिए यह जरूरी होगा कि इ.अंतिम अधिकार शिक्षा परिषद हो .अथवा प्रशासन हो या कार्यकारी परिषद को ही मिलना चाहिए या एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहना चाहिए। उसमें भी अच्छे लोग होते हैं शिक्षाविद लोग होते हैं, उसमें कोई आफीसर्स या बयूरोक्रेट्स नहीं होते हैं। उसमें एकेडेमिसियन ही हैं, इसलिए उसमें कोई चिन्ता की बात नहीं हैं। यह व्यवस्था अभी तक बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। यह एक परम्परा से निश्चित है कि एकेडेमिक काउन्सिल शिक्षा परिषद, विद्वत परिषद इन मामलों का निर्धारण करती हैं , जो शिक्षा से संबंधित हैं, अध्यापकों की योग्यता से संबंधित हैं। बाकी जो सामान्य प्रशासन है, नियुक्तियां हैं, उसके बारे में कार्य करने के लिए एक्जीक्यूटिव काउन्सिल होती हैं। जो सिफारिशें एकाडेमिक काउन्सिल से आती हैं, उसमें अभी तक मेरे सामने कोई शिकायत नहीं आई हैं या एकाडेमिक काउन्सिल में कोई तनाव हैं। हो सकता हैं कुछ राज्यों के विश्व विद्यालयों में ऐसा नहीं हुआ हो। लेकिन हमारे केन्द्रीय विश्व विद्यालयों में अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई हैं।

दूसरी बात प्रो-वाइस चांसलर के बारे में कही गयी है। प्रो-वाइस चांसलर के बारे में पूरे प्रावधान हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो वेतनमान हैं, उनमें से उसके लिए भी सुनिश्चित हैं। वह एक पूर्णकालिक व्यक्ति होता है, उसके बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है।

अभी इसके कोर्स के बारे में कहा गया है कि ऐसे कुछ कोर्स होने चाहिए थे। जो कनफिलिक्टिंग रिजोल्यूशन की तरफ ध्यान दिलाया गया है, मैं बहुत आभारी हूँ कि यह बात बताई गई है। इस विश्व विद्यालय की स्थापना और इस विश्व विद्यालय की पृष्ठभूमि में एक बहुत दिनों से चले आए विवाद को निपटाने के फलस्वरूप हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश में मिजोरम में कोई विवाद हमेशा बना रहेगा। इसलिए उसके उद्देश्यों में लिखना यह तो हमने बहुत उपयुक्त नहीं माना है। मैं इससे सहमत हूँ रिजोल्यूशन ऑफ कनफिलिक्टिंग का विषय जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न विश्व विद्यालयों में इस पर अनुसंधान होना चाहिए। यह बात बहुत मार्के की है। अगर आप इसको देखेंगे, धारा -4 में हमने अंत में एक वाक्य लिखा है, एक तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के अंतर्गत यह विषय आता है और सोशल साइंस को भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा सकता है, किसी भी विश्व विद्यालय में इस विषय का समावेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक विशेष बात रखी है कि मिजोरम राज्य के विकास के लिए जन-शक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करेंगे जिसमें वह तमाम विषय आ जायेंगे जो वहां की अर्थ-व्यवस्था से संबंधित हैं और उस राज्य के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा को सुधारने तथा उनके कल्याण के लिए, उकने बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए हमने इसमें कुछ छोड़ा नहीं है और अगर एक्ट में हम विषय लिख देंगे तो उस विषय में कुछ भी परिवर्तन करना होगा तो फिर बार-बार सदन के पास आना पड़ेगा, आपका समय लेना पड़ेगा। इसलिए विषय का चयन और व्हाय के बारे में निर्धारण करने का काम हमने एकाडेमिक काउन्सिल और एक्जीक्यूटिव काउन्सिल के ऊपर छोड़ते हैं। और वहां जब वह निर्णय कर लेते हैं तो फिर उसको हम मान लेते हैं। मैं यह समझता हूँ कि जो बात यहां कही गई है, उसकी तरफ विश्वविद्यालय का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वे ऐसे विषय पढ़ाएँ जो मिजो राज्य की आर्थिक स्थिति और वहां की जन-जीवन से संबंधित हो और उन विषयों से संबंधित संकायों को ही विशेष रूप से खोला जाए। हमने यह कहा है कि इसका मुख्यालय आईजोल में होगा। यह एक अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, संबद्ध करने वाली यूनिवर्सिटी है और उसके मिजोरम सरकार ने 400 एकड़ जमीन देने का वायदा किया है। इसलिए सरकारी जमीन होगी, वहरं होगी, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। उसका हैड ऑफिस ऐजोल में होगा क्योंकि यह

आफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं। इसके कैम्पस, इसके परिसर विभिन्न स्थानों में हो सकते हैं, मिजो राज्य में कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए जहां भी मुख्य परिसर बनेंगे, अध्यापन कैम्पस बनेंगे, उसके लिए 400 करोड़ जमीन हमें वहां देने कर वायदा किया गया है। मैं समझता हूं कि जतनी चिन्ता और जितना सरोकार सदन ने व्यक्त किया है और जिस उत्साह के साथ, एक प्रकार से पूर्ण समर्थन के साथ इस विधेयक के प्रति लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उसके लिए बहुत अभारी हूं। मैं समझता हूं आप सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे और आने वाले नए वर्ष के लिए मिजो राज्य को एक विश्वविद्यालय करने की आप अपनी शुभेच्छा पूरे सदन की ओर से प्रकट करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let it be a pre-Christmas gift.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am not saying that it is a pre-Christmas gift. I am saying that

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the hon. Minister agree to declare it a pre-Christmas gift to the people of Mizoram?

DR MURLI MANOHAR JOSHI: Unless it is adopted by the Lok Sabha.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Bill has to be adopted, not the gift.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I would appeal to the Lok Sabha also. But the Lok Sabha is not going to sit tomorrow. I have no objection in saying it a pre-Christmas gift.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now the question is:

"That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University in the State of Mizoram and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

[23 December, 1999] . RAJYA SABHA

Clauses 2 to 47 and the Schedule were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

मिजोरम राज्यमें अध्यापन और सम्बद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Tentative proposals for revision of wages in respect of working Journalists and non-Journalists Newspaper and News Agency Employees

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): We shall now take up statements. There are two statements. ... *(Interruptions)*... Just a minute. Dr. Satya Narayan Jatiya will make a statement regarding tentative proposals for revision of wages in respect of Working Journalists and Non-Journalists Newspapers and News Agency Employees— *(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal) : Sir, there is a tradition that the statement of a Minister is always taken up before the House rises for the day. There is a Short Duration Discussion, which has to be taken up. Let us first take up the Short Duration Discussion and after that the Minister can make his statement. The Short Duration Discussion is very important.

SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA (Uttar Pradesh): Sir, the House had agreed to... *(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we are departing from the standard procedure that we have adopted in the House so far. The statement should be taken up only after the Short Duration Discussion is over.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTAN BISI): The statement has already been circulated.... *(Interruptions)*. ..

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Sir, there is no need for